पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 10 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 07.03.2023

दिनांक 06/07-03-2023 को रात्रि थाना गोमतीनगर विस्तार 01, गोमतीनगर 01, मड़ियांव 01, सरोजनीनगर 04, काकोरी 03 अभियुक्त गिरफ्तार, इस प्रकार वांछित में कुल 10 अभियुक्त गिरफ्तार ।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना निगोंहा- दिनांक 06-03-2023 को उ0नि0 श्री विजय प्रताप सिंह थाना निगोंहा जनपद लखनऊ द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01-देशराज यादव पुत्र महावीर प्रसाद यादव निवासी ग्राम मीरानपुर थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ को खेत आरोपी वहद ग्राम मीरानपुर थाना निगोहां जनपद लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 प्लास्टिक की पिपिया में करीब 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना निगोंहा पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना निगोंहा- दिनांक 06-03-2023 को उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह थाना निगोंहा जनपद लखनऊ द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01- संदीप पुत्र राधेश्याम रैदास नि0ग्राम निगोहां थाना निगोहां जनपद लखनऊ को जंगल ग्राम अघैय्या थाना निगोहां जनपद लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 प्लास्टिक की पिपिया में करीब 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना निगोंहा पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना निगोंहा- दिनांक 06-03-2023 को उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना निगोंहा जनपद लखनऊ द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01- रामप्रकाश पुत्र ईश्वरदीन नि0ग्राम निगोहां थाना निगोहां जनपद लखनऊ को S.B.N इण्टर कालेज के पास थाना निगोहां जनपद लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से करीब 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना निगोहां पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

गोसांईगंज-(एक्सीडेन्ट)-दिनांक 07-03-2023 को थाना गोसांईगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री देवतादीन निवासी रामपुर हसनपुर महुराकला थाना गोसांईगंज लखनऊ ने थाना गोसांईगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 06-03-2023 समय करीब 06.00 बजे शाम को वादी का पुत्र करन सिंह उम्र करीब 26 वर्ष निवासी उपरोक्त अपनी मो0सा0 नं0 यूपी32 केएम 8134 से मजदूरी करके आ रहा था कि ट्रक नं0 यूपी53 डीटी 9499 के चालक नाम पता अज्ञात द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर बेली फार्म निकट रत्ना मैरिज हॉल के पास वादी के पुत्र की मो0सा0 में पीछे से टक्कर मार दिया, जिस कारण वादी के पुत्र करन सिंह ट्रक के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गयी। **इस सूचना पर थाना गोसांईगंज पर मु0अ0सं0 95/2023 धारा 279/304-ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री गौरीशंकर यादव द्वारा की जा रही है।**

<u>जानकीपुरम-(चोरी)-</u> दिनांक 07-03-2023 को थाना जानकीपुरम द्वारा बताया गया कि वादी श्री योगेश कुमार अग्रवाल पुत्र नानक चन्द अग्रवाल निवासी सी-2 चाँदगंज गार्डन निकट रेलवे लाइन थाना जानकीपुरम लखनऊ ने थाना जानकीपुरम पर सूचना दिया कि वादी दिनांक 06-03-2023 को सुबह 10 बजे अपने दुकान आशा स्टोर के नाम से निकट अटल तिराहा, सी.बी.आई. कालोनी थाना जानकीपुरम लखनऊ के ठीक सामने पहुंचा तो देखा कि शटर आधा खुला है और दोनों ताले गायब है। वादी ने बगल के रास्ते से अंदर जाकर देखा तो स्टोर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था, वादी ने अपने स्टोर का सारा सामान चेक किया तो पाया कि 02 पीईओ, एक मॉनीटर, 01 सीपीयू, 01 प्रिंटर, 01 लैपटॉप, दो चैक बुक व कैश पेटी में रखी नकदी डेढ़ लाख रू0 को अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया था। **इस सूचना पर थाना जानकीपुरम पर मु0अ0सं0 54/2023 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री प्रवीन कुमार द्वारा की जा रही है।**

<u>इटौंजा-(सुसाइड)-</u> दिनांक 07-03-2023 को थाना इटौंजा द्वारा बताया गया कि श्री आशीष कुमार यादव पुत्र स्व. रामप्रकाश यादव निवासी ग्राम राजापुर थाना इटौंजा लखनऊ ने थाना इटौंजा पर सूचना दिया कि उनके पिता श्री रामप्रकाश यादव उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र स्व. सियाराम यादव जो शराब पीने के आदी थे। उनके द्वारा आज दिनांक 07.03.2023 को राम प्रताप यादव के खेत मे मौजूद आम के पेड़ की डाल से प्लास्टिक की रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री जय प्रकाश सिंह मो0नं0 9450804575 द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक रामप्रकाश यादव उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम राजापुर थाना इटौंजा जनपद लखनऊ खेती करता था। मृतक विवाहित है और मृतक के 05 बच्चे हैं।